

न्यायालय-द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
॥ पीठासीन अधिकारी पी.सी.आर्य ॥

व्यवहार वाद क्र०-19बी/2014  
संस्थापन दिनांक-03.11.2010  
फाइलिंग नंबर-230303000182010

सुप्रीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (पी०पी०डी०)  
 इण्डस्ट्रीयल एरिया मालनपुर परगना गोहद  
 जिला भिण्ड म०प्र० द्वारा:-  
 प्राधिकृत अधिकारी, सुप्रीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,  
 (पी०पी०डी०) मालनपुर जिला भिण्ड म०प्र०

.....वादी

बनाम

मेसर्स लक्ष्मी सैल्स एण्ड सर्विस,  
 05/136 नेसून हट एन०आई०टी०  
 फरीदाबाद 121001 द्वारा :-  
 मैनेजर मेसर्स-लक्ष्मी सैल्स एण्ड सर्विस  
 फरीदाबाद

.....प्रतिवादी

---

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधि० ।  
 प्रतिवादी पूर्व से एकपक्षीय ।

---

—::— नि र्ण य —::—

(आज दिनांक 22.08.15 को घोषित किया गया)

1. वादी कंपनी सुप्रीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से यह वाद प्रतिवादी कंपनी लक्ष्मी सैल्स एण्ड सर्विस से मूल धनराशि 561480/-रुपये मय न्यायशुल्क एवं उक्त धनराशि पर वसूली होने के दिनांक तक का ब्याज दिलवाये जाने बाबत पेश किया गया है।
2. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि वादी कंपनी की फैक्ट्री इण्डस्ट्रीयल एरिया मालनपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड में स्थित है। तथा यह भी स्वीकृत है कि प्रतिवादी फर्म द्वारा वादी कंपनी के मालनपुर स्थित संस्थान में एक चिलर 24 टी०आर० केप एयरकूल्ड स्थापित किये जाने हेतु सप्लाई किया था और उसे स्थापित किया गया था तथा वादी की ओर से दिये गये विधिक सूचना पत्र का प्रतिवादी की ओर से जवाब भी दिया गया था।
3. वादी कंपनी की ओर से प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी कंपनी सुप्रीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एक लिमिटेड कंपनी है जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। इस कंपनी की एक फैक्ट्री यूनिट मालनपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र० में स्थित है और इसमें पैकिंग मटेरियल का निर्माण होता है और उसके क्रय विक्रय का कारोबार होता है। जिसका प्रधान कार्यालय 612 रहेजा चैम्बर नरीमन पॉइन्ट मुंबई (महाराष्ट्र) में है। उक्त कंपनी स्थिति मालनपुर के एकाउण्ट्रस मैनेजर दिलीप कारवा इस फैक्ट्री यूनिट के अधिकारी हैं और फैक्ट्री की ओर से फैक्ट्री के संचालन हेतु समस्त न्यायालयीन कार्यवाही करने के लिये दावा करने, अनुरक्षण करने

आदि के लिये अधिकृत है। प्रतिवादी कंपनी विभिन्न प्रकारों की मशीनों एवं उपकरणों आदि का निर्माण करने वाली कंपनी है जो 5/136 नूसन हट एनआईबी फरीदाबाद उत्तरप्रदेश में स्थित है। वादी कंपनी की ओर से प्रतिवादी कंपनी को एक पर्चेज ऑर्डर दिनांक 29.12.07 को नंबर-एम.1पी.08डी.0179 से एक चिलर-24 टी.आर. केप एयरकूल्ड कीमती 561480/-रुपये में क़य करने बाबत दिया था जिसके पालन में वादी द्वारा प्रतिवादी को विभिन्न दिनाकों पर चैकों के माध्यम से भुगतान किये गये थे। तथा प्रतिवादी की ओर से दिनांक 01.02.08 को एक चिलर एयरकूल्ड मय उपकरणों के सप्लाई किया गया जिसे वादी कंपनी में लगाया गया।

4. जब वादी कंपनी द्वारा उक्त सप्लाई किये गये एयरकूल्ड चिलर को उपयोग में लिया गया तो वह एयरकूल्ड चिलर ठीक हालत में काम नहीं कर पा रहा था और खराब था तथा चालू हालत में न होकर अनुपयोगी था जिसके बाबत समय समय पर वादी कंपनी की ओर प्रतिवादी कंपनी को सूचित भी किया गया तथा प्रतिवादी कंपनी की ओर से एक टेक्नीशियन भेजा गया और उसने सप्लाई के लिये नये एयरकूल्ड चिलर को सही करने का प्रयास किया और दो कंप्रेसर रिप्लेस भी किये किन्तु वह उसे उपयोग लायक नहीं कर पाया और यह कहकर चला गया कि कुछ उपकरण वह लेकर आयेगा तब चिलर ठीक हो जावेगा। किन्तु उसके बाद कोई उपकरण प्रतिवादी कंपनी की ओर से नहीं भेजे गये। जिससे उक्त चिलर अनुपयोगी रूपसे वादी कंपनी में रखा हुआ है। वादी द्वारा अनेक बाद प्रतिवादी को एयरकूल्ड चिलर वापिस ले जाने के लिये और वादी को रुपये वापिस करने के लिये कहा गया किन्तु प्रतिवादी ने तो वादी का रुपया वापिस किया न ही चिलर वापिस मंगाया गया। तब वादी ने एक नोटिस दिनांक 17.10.08 को स्पीड पोस्ट से रसीद क्रमांक-193 से प्रतिवादी को दिया जिसका जवाब प्रतिवादी की ओर से भेजा गया। जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि एक टेक्नीशियन एयरकूल्ड को ठीक करने आया था और उसने दो कंप्रेसर एयरकूल्ड चिलर में रिप्लेस भी किये तथा चिलर मशीन को ठीक करने का प्रयास किया परन्तु उस जवाब में अन्य गलत बातें लिखकर व झूठे बहाने बनाकर प्रतिवादी ने अपने उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास किया अतः वादी कंपनी ने प्रतिवादी के विरुद्ध उचित न्यायशुल्क पर यह दावा प्रस्तुत कर इस आशय की निर्णय व डिक्री प्रदान कये जाने की प्रार्थना की है कि प्रतिवादी वादी को चिलर की कीमत 561480 रुपये का भुगतान करे तथा वसूली दिनांक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाये जाने एवं उक्त खराब एयर कूल्ड सप्लाई करने के कारण वादी कंपनी को हो रहा 25000रुपये का नुकसान भी दिलाये जावे।

5. प्रतिवादी कंपनी की ओर से वादी की ओर से प्रस्तुत दावे का जवाब प्रस्तुत करते हुए समस्त तथ्यों से इन्कार करते हुए यह व्यक्त किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत दावा चलने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त दावा किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा नहीं डाला गया है न ही कोई कॉज ऑफ एक्शन बताया गया है। तथा दोनों पार्टियों में यह तय हुआ था कि अगर किसी भी सूरत में कोई भी दावा डलेता गा तो वह फरीदाबाद हरियाणा में ही डलेगा। तथा वादी कंपनी लिमिटेड कंपनी नहीं है न ही उसमें कोई पैकिंग मटेरियल का कार्य होता है। तथा दिलीप कारवा अधिकृत अधिकारी न्यायालयीन कार्यवाही हेतु अधिकृत नहीं है। तथा उक्त चिलर की सही कीमत लेने पर उसे एयरकूल्ड उपकरणों के साथ सप्लाई किया जो चालू हालत में वादी की जगह पर इन्स्टॉल किया गया। तथा वादी द्वारा बताये चिलर के खराब होने की सूचना भी समय समय पर नहीं दी गई है। न ही उन्होंने किसी टेक्नीशियन को ठीक करने के लिये भेजा। तथा प्रतिवादी ने चिर को बेचते समय यह साफ साफ बता दिया था कि चिलर को तभी चलाया जावे तब पाईप लाईन पर स्टेनर फिट करा हुआ हो। उन्होंने रूटीन चैकिंग के लिये टेक्नीशियन को भेजा था। तथा वादी ने चिलर के रखरखाव की उचित व्यवस्था नहीं की थी। तथा प्रतिवादी कंपनी द्वारा दिये गये चिलर में कोई कमी नहीं थी। तथा वादी की कमी के कारण प्रतिवादी को दण्डित नहीं किया जा सकता है। अतः वादी का दावा सव्यय निरस्त किया जावे।

6. प्रकरण में उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्नों की रचना की गई, जिन पर लिए गए निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित हैं:-

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या प्रतिवादी कंपनी द्वारा वादी कंपनी को पर्चेज ऑर्डर दिनांक 29.12.07 को नंबर-एम.1पी.08डी.0179 से एक एयरकूल्ड चिलर 24 टी आर को 561480/-रुपये में विक्रय किया गया था ?	
2	क्या प्रतिवादी कंपनी द्वारा वादी कंपनी को विक्रय किये गये उक्त चिलर के चालू हालत में न होकर अनुपयोगी होनेसे खरीदने का उद्देश्य विफल हुआ है?	
3	क्या वादी कंपनी प्रतिवादी कंपनी से उक्त क्रय किये गये चिलर की राशि रुपये 561480/- एवं उस पर वाद प्रस्तुति दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वसूलने की अधिकारिणी है?	
4	क्या प्रस्तुत वाद इस न्यायालय की आर्थिक व क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर होकर अप्रचलनीय है?	
5	क्या प्रतिवादी कंपनी द्वारा सप्लाई किये गये अनुपयोगी चिलर के कारण वादी कंपनी द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था से उन्हें रुपये 25000/-मासिक की क्षति हो रही है?	
6	अन्य सहायता एवं वाद व्यय?	

7. प्रकरण में प्रतिवादी उपस्थित होने के पश्चात विचारण के दौरान दिनांक 23.07.15 को अकारण अनुपस्थित हो जाने से उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही संस्थित की गई है। वादी की ओर से एकपक्षीय साक्ष्य में आनंदमोहन सक्सेना, दिलीप कारवा और आनंद यादव के कथन कराये गये हैं और प्र०पी०-1 लगायत 11 के दस्तावेज पेश किये गये हैं जिनका प्रतिवादी की ओर से अभिलेख पर खण्डन नहीं है।

**:: सकारण निष्कर्ष ::**

#### **वाद प्रश्न क्रमांक-4 का निराकरण**

8. उक्त वाद प्रश्न का प्रमाण भार वादी पर है जिसके संबंध में वादी की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक साक्ष्य में आनंद मोहन सक्सेना सीनियर मैनेजर कमर्शियल वा०सा०-1 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-1 में यह साक्ष्य दी है कि वादी कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत लिमिटेड कंपनी है जिसका मुख्यालय 612 रहेजा चैम्बर नरीमन पॉइन्ट मुंबई राजस्थान में है और उसकी ब्रान्च इण्डस्ट्रीयल एरिया मालनपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड में स्थित है जिसमें पैकिंग मटेरियल का निर्माण कार्य होता है। कंपनी की ओर से दावा प्रस्तुत करने, साक्ष्य देने, अनुरक्षण करने और न्यायालयीन कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया गया है। उसका यह भी कहना है कि प्रतिवादी कंपनी मशीनों एवं उपकरणों का निर्माण करती है। जो फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है और प्रतिवादी कंपनी द्वारा उसकी कंपनी के पर्चेज ऑर्डर दिनांक 29.12.07 को नंबर-एम.1पी.08डी.0179 के पालन में एक चिलर 24 टी आर केप एयरकूल्ड मालनपुर गोहद स्थित फैक्ट्री में लगाया गया था तथा भुगतान भी किया गया था। ऐसा ही दिलीप कारवा वा०सा०-2, आनंद यादव वा०सा०-3 ने भी अपने

अभिसाक्ष्य में बताया है।

9. दस्तावेजी साक्ष्य में प्र०पी०-1 के रूप में कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेश किया है जिसके अनुसार रजिस्ट्रेशन क्रमांक-3554 सन् 1941-42 है जिसका खण्डन न होने से एकपक्षीय रूप से यह प्रमाणित होता है कि वादी कंपनी एक लिमिटेड कंपनी है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के अंतर्गत पंजीकृत है। प्र०पी०-2 के ठहराव मुताबिक कंपनी सेक्रेटरी द्वारा आनंद मोहन सक्सेना को वाद प्रस्तुत करने, संचालित करने व न्यायालयीन कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया गया है। वादोत्तर के अभिवचनों के पद क्रमांक-4 व 5 में जो तथ्य प्रकट किये हैं उससे प्रतिवादी द्वारा वादी कंपनी के मालनपुर स्थित संस्थान में एक चिलर 24 टी आर केप एयरकूल्ड को सप्लाई कर उसका स्थापित (इन्स्टालेशन) करना स्वीकार किया है जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि मालनपुर क्षेत्र जो कि राजस्व जिला भिण्ड के अंतर्गत होकर तहसील गोहद की स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत आता है। तथा चिलर की जो कीमत बताई गई है उसके अनुसार और माननीय जिला जज भिण्ड के कार्य विभाजन अनुसार अपर जिला न्यायालय गोहद को आर्थिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त था। और उक्त वाद प्रश्न का प्रमाणन भार प्रतिवादी पर था क्योंकि उसके अभिवचनों के आधार पर उक्त वाद प्रश्न की रचना की गई थी किन्तु प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य नहीं है बल्कि जो दस्तावेजी साक्ष्य में प्र०पी०-1 लगायत 11 के जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उससे मालनपुर स्थित औद्योगिक इकाई के लिये चिलर 24 टी आर केप एयरकूल्ड को स्थापित कराना और वहीं उसकी सप्लाई होना और वहीं से पत्राचार होना प्रमाणित होता है। इसलिये इस न्यायालय को उक्त वाद के श्रवण करने की स्थानीय व आर्थिक क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक-4 वादी के पक्ष में निर्णीत कर अप्रमाणित ठहराया जाता है।

#### **वाद प्रश्न क्रमांक-1 व 2 का निराकरण**

10. उक्त दोनों वाद प्रश्न मूल समव्यवहार एवं मूल विवाद से संबंधित हैं जिनका प्रमाण भार वादी पर है और प्रकरण में प्रतिवादी भले ही एकपक्षीय है। किन्तु सिविल प्रथा अनुसार वादी पर ही अपने वाद आधारों को प्रमाणित करने का भार होता है और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की किसी कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है जैसा कि न्याय दृष्टांत **दूल्हे सिंह विरुद्ध जुझारसिंह 1995 भाग-2 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन० 170** में प्रतिपादित सिद्धान्त अवलोकनीय है। इसलिये प्रतिवादी के एकपक्षीय होने के बावजूद दोनों वाद प्रश्नों को वादी के द्वारा प्रमाणित किया है या नहीं, यह भी मूल्यांकित करना होगा।

11. प्रकरण में वादीगण की ओर से जो तीनों साक्षी वा०सा०-1 लगायत वा०सा०-3 पेश किये गये हैं, उन्होंने एक जैसी अभिसाक्ष्य देते हुए मूल समव्यवहार के बाबत यह कहा गया है कि वादी कंपनी की ओर से प्रतिवादी कंपनी को दिनांक 29.12.07 को नंबर-एम.1पी.08डी.0179 से एक चिलर 24 टी आर केप एयरकूल्ड जिसकी कीमत 561480/- थी, उसे क़य करने के लिये दिया था जिसका भुगतान चैकों के माध्यम से किया गया था और प्रतिवादी कंपनी की ओर से चिलर 24 टी आर केप एयरकूल्ड मय उपकरणों के सप्लाई किया गया था और वादी कंपनी की औद्योगिक इकाई मालनपुर तहसील गोहद में लगाया गया था। किन्तु जब वादी कंपनी द्वारा स्थापित किये गये उक्त चिलर 24 टी आर केप एयरकूल्ड को उपयोग में लिया तो वह ठीक से काम नहीं कर रहा था और चालू न होकर अनुपयोगी था जिसके संबंध में वादी कंपनी की ओर से प्रतिवादी कंपनी को समय समय पर सूचित भी किया गया है और उसे सही हालत में उपयोग बनाने के लिये प्रतिवादी कंपनी के द्वारा एक टैक्नीशियन को भेजा गया था जिसने उक्त चिलर 24 टी आर केप एयरकूल्ड को तैयार करने का प्रयास किया था। दो कम्प्रेसर भी बदले थे किन्तु उसके बावजूद चिलर 24 टी आर केप एयरकूल्ड उपयोग लायक नहीं हो पाया था। तब प्रतिवादी कंपनी का टैक्नीशियन यह कहकर चला गया था कि वह कुछ और उपकरण लेकर आयेगा तब चिलर ठीक हो जावेगा। किन्तु उसके बाद प्रतिवादी कंपनी का कोई टैक्नीशियन नहीं आया और न ही उपकरण भेजा गया।

12. इससे प्रतिवादी के द्वारा वादी की उक्त औद्योगिक इकाई में स्थापित किये गये उक्त चिलर 24 टी आर केप एयरकूल्ड को अनुपयोगी होकर वादी कंपनी में रखा हुआ है जिसे वादी कंपनी द्वारा वापिस ले जाने के लिये और रुपये वापिस करने के लिये कई बार कहा गया था परन्तु प्रतिवादी कंपनी द्वारा न तो चिलर को वापिस लिया गया है और न ही उसकी राशि वापिस की गई है न ही उसे ठीक किया गया है। जिसके कारण वादी कंपनी की ओर से दिनांक 17.10.08 को स्पीड पोस्ट डांक से विधिक नोटिस भी भेजा गया था जिसका जवाब भी प्रतिवादी कंपनी द्वारा दिया गया था जिसमें टैक्नीशियन भेजने और दो कंप्रेसर बदले जाने की बात स्वीकार की गई थी किन्तु उसके अलावा शेष तथ्यों को इन्कार किया गया था जिससे प्रतिवादी कंपनी अपने उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास कर रही है और वास्तविकता में वादी कंपनी द्वारा कोई भी पाईप लाईन धूल या गंदे पाईप वाली नहीं लगाई गई। न ही बिना स्टेनर के उक्त चिलर को रखा गया तथा उचित वेन्टीलेशन की सभी व्यवस्थाएँ उनके द्वारा की गई थीं।

13. वा0सा0-2 ने यह भी कहा है कि कंपनी द्वारा पहले उसे अधिकृत किया गया था तब उसने प्रतिवादी कंपनी को प्र0पी0-9 का नोटिस भेजा था और कम्प्यूटीकृत ई-मेल द्वारा भी सूचित किया गया है। ई-मेल सात पृष्ठों में होकर प्र0पी0-8 के रूप में पेश करना, वा0सा0-1 ने भी बताया है। तथा यह भी कहा है कि प्र0पी0-9 के नोटिस की स्पीड पोस्ट की रसीद प्र0पी0-10 और पावती प्र0पी0-11 है। वा0सा0-3 जो कि वादी कंपनी का टैक्नीशियन है, उसका यह भी कहना है कि चिलर शुरू से ही खराब था और सही रूप से काम नहीं कर रहा था जिसके संबंध में वादी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा प्रतिवादी कंपनी को मौखिक व लिखित रूप से और ई-मेल के द्वारा ही सूचना दी गई थी।

14. इस संबंध में वादी कंपनी की ओर से जो अन्य दस्तावेज पेश किये गये हैं, उनमें प्र0पी0-3 का पर्चेज ऑर्डर दिनांक 29.12.07 को नंबर-एम.1पी.08डी.0179 पेश किया गया है तथा उसका टैक्स इन्वॉइस दिनांक 13.01.08 भी पेश किया है जिसके मुताबिक उक्त चिलर की मूल कीमत 468000 और टैक्स आदि मिलाकर कुल कीमत 4,61,480/-रुपये होना उससे प्रकट होता है। प्र0पी0-5 लक्ष्मी गुड्स कैरियर की बिल्टी है जिसके मुताबिक चिलर दिनांक 13.01.08 को आया था जो प्र0पी0-6 के रोड परमिट और प्र0पी0-7 चिलर प्राप्ति रसीद से भी स्पष्ट होता है। चिलर का सप्लाय किया जाना और उसका स्थापित किया जाना प्रतिवादी के अभिवचनों से भी स्वीकार किया गया है। उससे वाद प्रश्न क्रमांक-1 प्रमाणित हो जाता है।

15. जहाँ तक वाद प्रश्न क्रमांक-2 का प्रश्न है, इसके संबंध में मौखिक साक्ष्य में वादी कंपनी के द्वारा जो साक्षी पेश किये गये हैं, उन्होंने शुरू से ही प्रश्नगत चिलर को खराब होना बताया है जिसे प्रतिवादी कंपनी द्वारा ठीक कराने के लिये टैक्नीशियन को भेजा जाना भी कहा है जबकि प्रतिवादी कंपनी के वादोत्तर मुताबिक उसने चिलर को ठीक करने के लिये कोई टैक्नीशियन नहीं भेजा था बल्कि वह अपने हर उत्पाद को स्थापित करने के बाद रूटीन चैकिंग के लिये जो टैक्नीशियन भेजते हैं, वैसे ही टैक्नीशियन को भेजा गया था। किन्तु इस बाबत कोई खण्डन साक्ष्य नहीं है। प्र0पी0-9 का जो विधिक नोटिस भेजा गया है जिसकी स्पीड पोस्ट की रसीद प्र0पी0-10 है। पावती प्र0पी0-11 से यह स्पष्ट होता है कि विधिक नोटिस प्रतिवादी कंपनी को प्राप्त हुआ है। प्र0पी0-8 के रूप में वादी कंपनी द्वारा कम्प्यूटीकृत ई-मेल के माध्यम से भेजी गई सूचनाओं को पेश किया गया है जिसके संबंधमें दिनांक 04.07.15 को वादी कंपनी को साक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिये अनुमति धारा-65 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई थी। प्र0पी0-8 के मुताबिक जो ई-मेल वादी कंपनी की ओर से प्रतिवादी कंपनी को किये गये हैं। वे दिनांक 05.01.08 से लेकर 30.08.08 की अवधि के बताकर कुल 12 ई-मेल हैं जिससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि स्थापित चिलर के खराब होने के संबंध में

उसे बदले जाने या ठीक किये जाने के संबंध में सूचनाओं का आदान प्रदान दोनों पक्षों के मध्य होता रहा है और प्रतिवादी के विचारण स्तर पर एकपक्षीय हो जाने से वादी की एकपक्षीय मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खण्डन न होने से उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि मौखिक साक्ष्य में भी जो साक्षी पेश हुए हैं वे वादी कंपनी के अधिकारी कर्मचारीगण हैं जिनके द्वारा पदीय हैसियत से साक्ष्य दी गई है और जिन तथ्यों की उन्हें जानकारी होना प्रकट किया है उनपकी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा स्थापित किये गये चिलर का वादी की औद्योगिक इकाई में कोई उपयोग नहीं हुआ है और वह खराब होकर अनुपयोगी है। जिससे वादी कंपनी को प्रतिवादी कंपनी से चिलर खरीदने का उद्देश्य विफल हुआ है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक-2 भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर खण्डन के अभाव में एकपक्षीय रूप से वादी के पक्ष में प्रमाणित निर्णीत किया जाता है।

### **वाद प्रश्न क्रमांक-5 का निराकरण**

16. उक्त वाद प्रश्न को प्रमाणित करने का भार भी वादी पर है जिसके संबंध में वादी के अभिवचनों, व साक्षियों की मौखिक साक्ष्य में यह बताया गया है कि प्रतिवादी कंपनी द्वारा स्थापित किये गये चिलर के खराब होने से और सूचनाओं के आदान-प्रदान के बावजूद उसे न चलाये जाने के कारण उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी है जिससे उन्हें पच्चीस हजार रुपये मासिक की दर से क्षति भी हो रही है जिसकी वसूली भी चाही है। किन्तु मासिक क्षति के संबंध में कोई निश्चित व विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है तथा पच्चीस हजार रुपये की आर्थिक नुकसानी के संबंध में पृथक से कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। न ही वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद कोई नोटिस दिया गया है। तथा जो पर्चेज ऑर्डर प्रतिवादी कंपनी को दिया गया था उसमें ऐसी कोई शर्त थी कि वैकल्पिक व्यवस्था करने पर प्रतिवादी कंपनी आर्थिक क्षति वहन करेगी। ऐसी स्थिति में 25 हजार रुपये मासिक की क्षति के संबंध में चाही गई सहायता वादी प्रतिवादी से प्राप्त करने का एकपक्षीय रूप से भी अधिकारी नहीं है। इसलिये वाद प्रश्न क्रमांक-5 वादी के विरुद्ध निर्णीत कर अप्रमाणित ठहराया जाता है।

### **वाद प्रश्न क्रमांक-3 व 6 का निराकरण**

17. उपरोक्त दोनों वाद प्रश्न सहायता संबंधी हैं इसलिये उक्त दोनों वाद प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है।

18. इस संबंध में वादी के अभिवचनों तथा साक्षियों की मौखिक साक्ष्य में ब्याज के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताये हैं न ही प्र०पी०-3 के पर्चेज ऑर्डर में ब्याज संबंधी कोई शर्त है। ऐसे में अभिवचनों में बारह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की मांग प्रमाणित नहीं होती है। इसलिये वादी कंपनी को प्रतिवादी कंपनी से अनुपयोगी हुए चिलर की भुगतान की गई कीमत पर वाद प्रस्तुति दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज नहीं दिलाया जा सकता है। इसलिये वाद प्रश्न क्रमांक-3 भी वादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है। किन्तु वाद एकपक्षीय रूप से मूल समव्यवहार बाबत प्रमाणित हुआ है। इसलिये वादी वाद व्यय व अभिभाषक शुल्क अवश्य प्रतिवादी कंपनी से प्राप्त करने का पात्र है।

19. अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद एकपक्षीय रूप से आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री करते हुए उसके पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न आशय की एकपक्षीय आज्ञा पारित की जाती है कि:-

1. प्रतिवादी कंपनी वादी कंपनी को प्र0पी0-3 के पर्चेज ऑर्डर दिनांक 29.12.07 नंबर-एम.1पी.08डी.0179 के पालन में उसके औद्योगिक इकाई मालनपुर में स्थापित चिलर 24 टी आर केप एयरकूल्ड के अनुपयोगी होने से उसकी कीमत 5,61,480/-रूपये (पांच लाख इकसठ हजार चार सौ अस्सी रुपये) का दो माह के भीतर विधिवत भुगतान कररसीद प्राप्त करे।
2. प्रतिवादी कंपनी वादी कंपनी का प्रकरण व्यय भी वहन करेगी जिस पर अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किये जाने पर या तालिका अनुसार जो भी कम हो, उसका 1/2 भाग जोड़ा जावे।

तदनुसार एकपक्षीय डिक्री निर्मित हो।

दिनांक **22.08.2015**

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

**(पी0सी0आर्य)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

**(पी0सी0आर्य)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)